विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में चार चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को समावेशित करते हुए तीन अध्याय, 18 संपादन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ तथा पर्यावरण एवं वन विभाग पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। लेखापरीक्षा नमूनों का उद्ग्रहण सांख्यिकी नमूना चयन विधियों के साथ–साथ विवेक के आधार पर किया गया है। सरकार के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाला गया है तथा अनुशंसाएँ की गयी हैं।

कुछ सरकारी विभागों एवं कार्यक्रमों के प्रदर्शन एवं पर्यावरण एवं वन विभाग के कार्यकलाप पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं :

बिहार में संपूर्ण स्वच्छता अभियान

स्वच्छता मानव जीवन के रहन–सहन का स्तर एवं मानव विकास सूचकांक को जानने के मूल निर्धारकों में एक है। स्वच्छता के महत्व को महसूस करते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता प्रक्षेत्र में सतत् सुधार के लिए वर्ष 1999 में 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' नामक कार्यक्रम की शुरूआत की। हालाँकि कार्यक्रम का क्रियान्वयन काल–बद्ध तरीके से किया जाना था, यह विभिन्न चरणों में विश्वसनीय आधारभूत आँकड़ों की अनुपलब्धता, विभिन्न अवयवों पर धीमे एवं मंद व्यय, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषन कार्यकलापों के अभाव, सामुदायिक सहभागिता एवं उचित अनुश्रवण की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हुआ जबकि इन पर वर्ष 2005–10 के दौरान कुल ₹ 478.18 करोड़ के उपलब्ध निधियों में से ₹ 360.07 करोड़ व्यय किए गए थे। ₹ 118.11 करोड़, जो कुल उपलब्ध निधियों का 25 प्रतिशत था, मार्च 2010 तक अनुपयोगित पड़ा था।

माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा, विद्यार्थियों (आयु समूह 14–18 वर्ष) को उच्चतर शिक्षा हेतु तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यद्यपि वर्ष 2005–10 की अवधि में माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में 60 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई किन्तु विभाग द्वारा राज्य में माध्यमिक शिक्षा हेतु कोई दीर्घकालीन अवधि/वार्षिक योजना नहीं बनाई गई थी जिसमें वर्तमान मौजूद स्कूलों की संख्या, शिक्षक एवं अन्तःसंरचनात्मक सुविधाएँ जैसे वर्ग कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर शिक्षा जैसी कमियाँ दूर हो सके। उभरते प्रौद्योगिकी परिदृश्य में भी व्यावसायिक और कम्प्यूटर शिक्षा माध्यमिक स्कूल स्तर पर शून्य थी जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन विषयों पर जोर दिया गया था।

काराओं का प्रबन्धन

काराओं का प्रबन्धन एवं प्रशासन केवल राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा इसका संचालन कारा नियमावली, 1894 के तहत होता है। कर्मियों का घोर अभाव, आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की कमी अथवा निष्क्रियता, काराओं के भवनों का अपूर्ण रहने के कारण अत्यधिक भीड़, एहतियाती एवं सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन नहीं करना, आवश्यक अभिलेखों का असंधारण एवं नियमित रूप से कारा महानिरीक्षक एवं संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण काराओं का प्रबंधन

प्रभावित हुआ। सात वर्ष पूर्व प्राप्त होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा 2003 में लागू की गई आदर्श कारा नियमावली को नहीं अपनाया जा सका।

सामान्य भविष्य निधि प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

भविष्य निधि निदेशालय, जो कि अखिल भारतीय सेवा के बिहार में कार्यरत अधिकारियों एवं बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) लेखाओं के संधारण करने के लिए उत्तरदायी था, ने इस कार्य हेतु नेशनल इनफौरमेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकोरपोरेटेड (निक्सी) द्वारा 2005 में एप्लिकेशन साफ्टवेयर (भविष्य निधि) को विकसित किया। राज्य के लिए एक स्पष्ट आई.टी. नीति की रूपरेखा अनुपलब्ध रहने के कारण जी.पी.एफ. लेखा प्रणाली अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रही। कार्यक्रम कार्यान्वयन भी महत्वपूर्ण प्रणाली डिजाइन अभिलेखों के अभाव, ऑपरेटिंग प्लेटफार्मो की स्थापना नहीं होने और निक्सी के साथ समझौता ज्ञापन से अलग प्रणाली सॉफ्टवेयर की स्थापना, प्रशिक्षित कर्मी की अपर्याप्त संख्या और डेटा प्रविष्टि ऑपरेटरों की परिहार्य भर्ती के कारण भी प्रभावित था। उसके अतिरिक्त इस प्रणाली के अंतर्गत कल्पित जैसे अंशदाताओं को अंतिम भुगतान के त्वरित निपटान, एक राज्य व्यापी डाटाबेस का निर्माण या फाईल और पत्र ट्रेकिंग प्रणाली के लिए बुनियादी कार्यालय प्रक्रिया सॉफ्टवेयर का उपयोग जैसे लाभों को नहीं उठाया जा सका।

संपादन लेखापरीक्षा

विभिन्न विभागों एवं उनके क्षेत्रीय उपक्रमों में नमूना जाँच द्वारा वित्तीय संपादनों की लेखापरीक्षा में ₹ 45.10 करोड़ की हानि, कपटपूर्ण भुगतान, अधिकाई, निरर्थक, परिहार्य, निष्क्रिय एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों को उजागर किया गया जो नीचे वर्णित है :

चार मामलों में ₹ 5.17 करोड़ की हानि एवं कपटपूर्ण भुगतान, स्वास्थ्य विभाग (₹ 3.52 करोड़), जल संसाधन विभाग (₹ 1.61 करोड़) एवं ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 4.39 लाख) में पाए गए।

(कंडिका 2.1.1 से 2.1.4)

जल संसाधन विभाग (₹ 10.27 करोड़), मानव संसाधन विकास विभाग (उच्चतर शिक्षा विभाग) (₹ 6.75 करोड़), पथ निर्माण विभाग (₹ 2.97 करोड़), ग्रामीण कार्य विभाग (₹ 2.46 करोड़) तथा कृषि विभाग (₹ 27.22 लाख) में ₹ 22.72 करोड़ के अधिकाई एवं निरर्थक व्यय पाए गए।

(कंडिका 2.2.1 से 2.2.6)

परिहार्य एवं निष्फल व्यय के रूप में ₹ 14.26 करोड़ के मामले पथ निर्माण विभाग (₹ 11.78 करोड़) एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (₹ 2.48 करोड़) में पाए गए।

(कंडिका 2.3.1 से 2.3.3)

ट्रॉमा केन्द्रों में मशीनों के अल्प–उपयोग एवं वेतन मद में निष्क्रिय व्यय के रूप में कुल ₹ 2.95 करोड़ पाए गए जिनमें स्वास्थ्य विभाग (₹ 1.85 करोड़) एवं मानव संसाधन विभाग (₹ 1.10 करोड़) के मामले प्रकाश में आए।

(कंडिका 2.4.1 से 2.4.2)

पर्यावरण एवं वन विभाग की समेकित लेखा परीक्षा

पर्यावरण एवं वन विभाग की समेकित लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य ने अपनी वन नीति नहीं बनाई थी जबकि राष्ट्रीय वन आयोग द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। नब्बे प्रतिशत वन प्रमंडल बिना किसी कार्य योजना के ही कार्यरत थे जबकि बिहार वन नियम नियमावली के अनुसार आवश्यक था। योजना शीर्ष व्यय में बचत, बजट बनाने एवं योजना कार्यक्रम क्रियान्वययन में कमियों को दर्शाता था। व्यय नियंत्रण पंजी का अभाव वित्त प्रबंधन की कमजोरी एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन न किया जाना दर्शाता था। क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकार निधि में अत्यधिक राशि की उपलब्धता के बावजूद उपलब्धि शून्य थी। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया गया जैसा कि भारत सरकार की मार्गदर्शिका में उल्लेखित था। अपर्याप्त निधि एवं प्रबंध योजना के अभाव के साथ अपर्याप्त गश्ती, संरचनात्मक कमी एवं अत्यधिक रिक्तियों ने वन्यप्राणी अभयारण्य के साथ वाल्मिकी व्याघ्र परियोजना विकास को प्रभावित किया। विभाग की मानव क्षमता योजना में कमी थी एवं वनकर्मियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया गया।